प्रवेश और फीस नियमन समिति
उत्तर प्रदेश शासन
संख्या– 111 /प्र0फी0नि0स0/2017

लखनऊ: दिनांक 09 जून, 2017

आदेश

एलनहाउस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, कानपुर (कोड–505)

अधिनियम–2006 की धारा–14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या–4781/सोलह–1–2015–14(34)/2015 दिनांक 22.12.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली–2015 निर्गत की गयी है, जिसमें दिये गये प्राविधानुसार निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों के शुल्क का निर्धारण किया जाना है।

2. उक्त विनियमावली–2015 के अनुपालन में समिति के आदेश संख्या–115/प्रफीनिस/2016 दिनांक 07 नवम्बर, 2016 द्वारा निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों हेतु निम्नवत् मानक शुल्क निर्धारित किया गया है:–

समूह	पाठ्यक्रम का नाम	मानक शुल्क रू0
एक	बी0टेक, बीआर्क, बी0फार्मा, बी0एफ0ए0, बी0एफ0ए0डी0,	55000.00
दो	बी0एच0एम0सी0टी0,	73000.00
तीन	एम0बी0ए0/एम0सी0ए0/एम0टेक0/एम0फार्मा0/एम0आर्च0	58000.00

उक्त आदेश में ऐसी संस्थाओं को जो समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क से भिन्न शुल्क निर्धारित करवाना चाहती है उन्हे अपना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव, लेखा विवरण एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों सहित समिति की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करते हुए उसकी एक प्रति समिति कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम में संस्थान द्वारा अपना प्रस्ताव/लेखा विवरण प्रस्तुत करते हुए शैक्षिक सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 हेतु शुल्क निर्धारण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समिति द्वारा परीक्षण किया गया एवं विनियमावली–2015 में दिये गये प्राविधानानुसार संस्थान के प्रतिनिधियों को अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 01.05.2017 को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। संस्थान की ओर से श्री जावेद हासमी, संयुक्त सचिव सुनील गुप्ता, सचिव, श्री अरूण अग्रवाल, एकाउण्टेन्ट एवं श्री जावेद हासमी, संयुक्त सचिव एवं डा0 विकास मिश्रा, डायरेक्टर ने संस्थान में बी0टेक0 पाठ्यक्रम संचालित हैं

प्रमाणित
सचिव
प्रवेश और फीस नियमन समिति
उ0 प्र0 शासन

जिसमें छात्रों से प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु रू0 81,000.00 शुल्क के रूप में लिया जा रहा है जिसे बढ़ाकर रू0 1,10,000.00 किया जाना चाहिए।

4. समिति द्वारा संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये बिन्दुओं को सुना गया एवं विनियमावली 2015 में दिये गये प्राविधानो के अनुसार निम्नवत् को संज्ञान में लेते हुए शुल्क निर्धारण हेतु विचार किया गया:–

(i) **डेप्रीसिएशन पर व्ययभार:–**

शैक्षिक संस्थान की स्थापना दीर्घ कालीन समय के लिए बिना किसी लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है। इस प्रकार स्थापित संस्थाओं में आयकर के भुगतान का प्रभारण निहित नही है। अतएव् परिसम्पत्तियों पर ह्रास की गणना के लिए भी आयकर प्रभारण का उद्देश्य निहित नही है। चूँकि शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना में लाभ का उद्देश न होने के कारण आयकर प्रभारण की गणना अपेक्षित नही है। अतः डब्लू0डी0वी0 अथवा एस0एल0एम0 दोनों पद्धतियों से संस्था के संचालन हेतु कैश फ्लो पर प्रभाव नही पड़ता है। इसका एक मात्र प्रभाव इस व्यय को आधार बनाकर फीस निर्धारण में किया जा सकता है। संस्था द्वारा सृजित की गयी अवसंरचनाओं का पूर्ण लाभ एवं उपयोग दूरगामी वर्षो तक समान रूप से उपलब्ध रहता है। इसलिए शुल्क निर्धारण के उद्देश्य से कतिपय संस्थाओं की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यदि उनकी परिसम्पत्तियों पर डब्लू0डी0वी0 (रिटन डाउन वैल्यू) पद्धति से ह्रास मूल्य दिया जाता है तो पहले के वर्षो में अधिक शुल्क और उसके बाद के वर्षो के शुल्क की राशि कम करने का औचित्य बनेगा। इस प्रकार संस्थाओं में स्थापित परिसम्पत्तियों पर छात्रों को समान लाभ की उपलब्धता बनाये रखने में संस्थाओं की परिसम्पत्तियों पर स्टेट लाइन पद्धति के अनुसार डेप्रीशिएसन ग्रेजुएटेड रूप में देना औचित्यपूर्ण पाया गया है। विनियमावली–2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संस्थाओं के शुल्क निर्धारण प्रक्रिया में कम्पनी एक्ट–1956 में वर्णित स्टेट एण्ड पद्यति का उपयोग किया गया है।

(ii) **विज्ञापन पर व्ययभार**

शैक्षिक संस्थानों में समय–समय पर आवश्यकतानुसार शैक्षिक/गैर शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति एवं छात्रों को नये सत्र में प्रवेश सम्बन्धी जानकारी आदि देने के लिए अथवा संस्था परिसर में किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराने या प्रयोगशालाओं के लिए सामग्री आदि क्रय करने के लिए प्रायः विज्ञापन दिये जाते है। इसके अतिरिक्त कुछ शैक्षिक संस्थाये अपने संस्थान की उपलब्धियों के विषय में समय–समय पर बहुमूल्य पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, रेडियों एवं टीवी के माध्यम से सजावटी विज्ञापन कर प्रचार–प्रसार कराते है या कभी–कभी कतिपय संस्थान विशेष इवेन्टस को एस्पोंसर्ड कराने में अधिक धनराशि व्यय करते है। ज्ञातव्य है कि संस्थाओं के संचालन हेतु आवश्यक मदों के अन्तर्गत व्यय हुई धनराशि को संज्ञान में लिया जाना आवश्यक है, जिसमें प्रवेश सूचना, स्टाफ की आवश्यकता, निर्माण कार्य अथवा सामग्री क्रय के लिए टेण्डर आदि के आवश्यक मदों में ही कार्य संचालन के उद्देश्य से विज्ञापन

प्रमाणित
सचिव
प्रवेश और फीस नियमन समिति
उ0 प्र0 शासन

आवश्यक है। विनियमावली–2015 में दिये गये प्राविधान के अनुसार शुल्क के निर्धारण में आवश्यक एवं मूल उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विज्ञापनों के लिए वार्षिक व्यय के मद में संस्था के कुल व्यय का अधिकतम् एक प्रतिशत धनराशि को शुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया गया है।

(iii) **वेतनमद पर व्ययभार**

संस्थाओं में छात्रों के शिक्षण कार्य हेतु शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों स्टाफ के वेतन की धनराशि व्यय के एक मुख्य मद के रूप में निहित होती है। संस्थाओं द्वारा चूकि अभातशिप के नार्मस के अनुसार स्टाफ की व्यवस्था की जाती है, अतएव् संस्थाओं द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए अभातशिप के नार्मस के अनुसार वेतनमद में धनराशि के व्यय का आंकलन कर रेगुलेट करते हुए व्यय की सीमा के अन्तर्गत अनुमन्य किया गया है। उक्त धनराशि के सत्यापन हेतु नियमावली–2015 के प्राविधान के अनुसार टी0डी0एस0 कटौती का प्रमाण–पत्र, फार्म–16 एवं नियुक्ति पत्र तथा वेतन भुगतान के प्रमाण–पत्र को संज्ञान में लिया गया है।

(iv) **विकास पर व्ययभार**

संस्था की ओर से सुनवाई के समय यह कहा गया कि भविष्य में विकास हेतु शुल्क निर्धारण में 10 प्रतिशत की दर से आकंलन किया जाना कम है, चूँकि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरन्तर विकास होने के कारण एवं नई तकनीक लागू होने के कारण प्रदेश में छात्र–छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करने हेतु संस्थाओं पर व्ययभार आता है। संस्थाओं की स्थापना ए0आई0सी0टी0ई0 / पी0सी0आई0 / आर्कीटेक्चर कौसिंल ऑफ इण्डिया एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शिक्षण व्यवस्था की जाती है तथा संस्थाओं द्वारा भविष्य के विकास को पूर्णरूप से एन्टीसिपेट कर दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। अतः समिति इस तथ्य से सहमत है कि आगामी योजनाओं के लिए एक निश्चित धनराशि अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। अतः विनियमावली–2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विकास मद में 10 प्रतिशत की दर के अनुसार शुल्क निर्धारण किया गया है।

(v) **मंहगाई पर व्ययभार**

विनियमावली–2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार गत तीन वर्षो में औसत उपभोक्ता मूल सूचकांक को मंहगाई के कारण भविष्य में व्ययभार में सम्भावित व्यय वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए आगामी तीन वर्षो के लिए आधार माना गया है। अतः प्रचलित वास्तविक सी0पी0आई0 (कन्जूमर प्राइस इन्डेक्स) के आधार पर 7 प्रतिशत के दर से आगामी तीन वर्षों तक का औसत मूल्य निकालकर मंहगाई की मद को शुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया गया है।

प्रमाणित
सचिव
प्रवेश और फीस नियमन समिति
उ0 प्र0 शासन

(vi) कुल व्ययभार प्रति छात्र

संस्थाओं द्वारा विभिन्न मदों में व्यय हो रही कुल धनराशि को ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित एवं पाठ्यक्रमवार स्वीकृत छात्रों की संख्या से विभाजित करके प्रतिछात्र व्यय की गणना की जायेगी। सस्था के प्रतिनिधियो द्वारा बताया गया कि व्ययभार की कुल धनराशि को अध्ययनरत् वास्तविक छात्र–छात्राओं की संख्या से विभाजित करके प्रति छात्र व्यय की गणना की जानी चाहिए न कि ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित स्वीकृत छात्र–छात्राओं की संख्या से की जाय। इसमें यह तथ्य विचारणीय है कि संस्था का शुल्क तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा, अतएव् वास्तविक छात्रों की संख्या पर ऑगणन की स्थिति में यदि आगामी वर्षो में प्रवेशित छात्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने पर संस्था में प्रोफिटियरिंग होगी जो मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में निहित भावनाओं/निर्णय के प्रतिकूल होगा। अतः विनियमावली–2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संस्थानों द्वारा विभिन्न मदों में व्यय हो रही कुल धनराशि को अखिल भारती तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत कुल छात्रों की संख्या से विभाजित करके प्रति छात्र व्यय की गणना की गयी है।

(vii) ब्याज पर व्ययभार

विनियमावली–2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संस्था द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैक से यदि अवसंरचना एवं अन्य फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स के लिए ऋण लिया गया है एवं उस पर ब्याज का भुगतान संस्था द्वारा किया गया है तो ब्याज की अधिकतम् 25 प्रतिशत धनराशि या रू0 3000/– डिग्री पाठ्यक्रम रू0 1000/– डिप्लोमा पाठ्यक्रम को प्रति स्वीकृत छात्र संख्या जो भी कम हो व्ययभार में सम्मिलित किया गया है। ऐसे ऋण पर ब्याज की धनराशि व्ययभार में सम्मिलित नहीं की जायेगी जिस ऋण का उपयोग छात्रावास एवं अन्य ऐसे किसी कार्य में किया गया है जिसके लिए छात्र/छात्राओं से अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है।

(viii) डायरेक्ट आवर्ती व्यय का व्ययभार

विनियमावली–2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पुस्तकालय में क्रय किये गये प्रियाडिकल्स एवं जनरल की धनराशि को आवर्ती व्यय मानते हुए इस मद में सम्मिलित किया गया है परन्तु संस्था द्वारा क्रय की गयी पुस्तकों की धनराशि को पूँजीगत व्यय माना गया है।

(ix) विद्युत पर व्ययभार

विनियमावली–2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संस्था द्वारा विद्युत व्यय पर होने वाला कुल व्यय इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया है कि विद्युत का उपयोग केवल छात्रहित में शैक्षिक भवन एवं प्रयोगशालाओं में उपकरणों पर किया जाये।

प्रमाणित

सचिव
प्रवेश और फीस नियमन समिति
उ0 प्र0 शासन

5. शुल्क निर्धारण हेतु समिति द्वारा संस्थाओं के वर्ष 2015–16 की प्रमाणित बैलेन्स सीट को आधार मानकर वर्ष 2015–2016 के लिए व्यय धनराशि का आंकलन किया गया। इस प्रकार से प्राप्त धनराशि पर वर्ष 2016–2017 के लिए 7 प्रतिशत सी0पी0आई0 (कन्ज्यूमर प्राइस इन्डेक्स) की बढोत्तरी रेट ऑफ इन्फलेशन को आधार मानकर शुल्क की गणना की गई। वर्ष 2017–18 के लिए सी0पी0आई0 (कन्जूमर प्राइस इन्डेक्स) के आधार पर 7 प्रतिशत की बढोत्तरी करते हुए प्राप्त धनराशि में वर्ष 2018–2019 के लिए सी0पी0आई0 इन्डेक्स के आधार पर 7 प्रतिशत की बढोत्तरी की गई। इस प्रकार प्राप्त धनराशि पर वर्ष 2019–20 के लिए पुनः सी0पी0आई0 इन्डेक्स के आधार पर 7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई। वर्ष 2017–2018, 2018–19 एवं 2019–20 में की गयी बढ़ोत्तरी क्रमशः 7 प्रतिशत, 7 प्रतिशत एवं पुनः 7 प्रतिशत का औसत मूल्य निकालकर तथा इस प्रकार से प्राप्त आंकलित धनराशि पर विकास मद में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए अन्तिम शुल्क निर्धारित किया गया।

6. उपरोक्त बिन्दुओं एवं छात्रावास पर हुए व्यय के अनुपात को संज्ञान में लेकर समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि एलनहाउस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, कानपुर में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में निम्नवत् शुल्क निर्धारित किया जाता है:–

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित शुल्क
एलनहाउस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, कानपुर।	बी0टेक0	रू0 81,268.00

संस्था के शुल्क निर्धारण से सम्बंधित गणना पत्र पृष्ठ संख्या–01 से 05 तक संलग्न है।

उपरोक्त निर्धारित शुल्क शैक्षिक सत्र 2017–18 से आगामी दो वर्षो (कुल तीन वर्ष) के लिए लागू होगा। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क, विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है। यह शिक्षण शुल्क सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में प्रवेशित छात्रों से लिया जाना होगा। पूर्व से प्रवेशित छात्र–छात्रओं से इनके प्रवेश के वर्ष में निर्धारित शिक्षण शुल्क ही लिया जाना प्रभावी रहेगा।

7. समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना समिति की अधिकृत वेब–साइट www.afrcup.in पर प्रदर्शित है तथा संस्था द्वारा भी इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेब–साइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

प्रमाणित

सचिव
प्रवेश और फीस नियमन समिति
उ0 प्र0 शासन

8. उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा–4 के अन्तर्गत गठित समिति के किसी आदेश के विरुद्व अपील के निस्तारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में अपील प्राधिकरण का गठन आदेश संख्या–3393/सोलह–1–2009–5(डब्लू–48)/2003 दिनांक 14.10.2009 द्वारा किया जा चुका हैं।

(पवन कुमार गंगवार)
सदस्य
कुलसचिव
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक,
विश्वविद्यालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

(ओ0पी0 द्विवेदी)
सदस्य
विशेष सचिव, वित्त,
उ0प्र0 शासन।

(भुवनेश कुमार)
अध्यक्ष
सचिव,
प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश
शासन।

संख्या एवं दिनांक तदैव–
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक/प्राचार्य, एलनहाउस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, कानपुर।
2. कुल सचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. अनुसचिव, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक विभाग।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(डा0 वी0एस0 सिंह)
सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

संख्या- 353270/2023/16-1099/1124/20199(**part**-1)

लखनऊ दिनांक 21 जुलाई, 2023

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम-2006 की धारा-4 के अन्तर्गत प्रख्यापित निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) समिति का गठन नियमावली-2008 की धारा-3 (1) अनुसार शासन के कार्यालय आदेश संख्या-2463/2008-सोलह-1-5-(डब्लू-48)/2003 दिनांक 27.06.2008 द्वारा निजी क्षेत्र की अभियन्त्रण/ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के फीस निर्धारण हेतु प्रवेश और फीस नियमन समिति का गठन किया गया है।

2. अधिनियम की धारा-14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या-4781/सोलह-1-14(34)/2014 दिनांक 22.12.2015 द्वारा उ0प्र0 निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन विनियमावली-2015 निर्गत की गयी। उक्त विनियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं में समिति द्वारा वर्ष 2017-18 (एक वर्ष) हेतु मानक शुल्क एवं मानक शुल्क से असन्तुष्ट संस्थाओं से प्राप्त प्रत्यावेदनों को निस्तारण करते हुए वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 (कुल तीन वर्षो) के लिए मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारित किया गया तथा वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (तीन वर्षो) के लिए मानक शुल्क एवं मानक शुल्क से असन्तुष्ट संस्थाओं से प्राप्त प्रत्यावेदनों को निस्तारण करते हुए वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (कुल तीन वर्षो) के लिए मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारित किया गया।

3. उल्लेखनीय है कि प्रवेश और फीस नियमन समिति उ0प्र0, प्राविधिक शिक्षा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या- 5104/प्र0फी0नि0स0 /2023, दिनांक 17.06.2023 द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित निजी क्षेत्र की समस्त डिग्री/डिप्लोमा एवं सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक सत्र 2023-24,2024-25 एवं 2025-26 (तीन वर्ष) के लिये मानक शुल्क निर्धारित किया गया है।

4- शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु मानक शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में पुनः विश्लेषण हेतु दिनांक 12.07.2023 को आहूत बैठक मे समिति द्वारा जनमानस की परेशानियों, छात्रहित/जनहित/छात्र-छात्राओं/अभिभावकों द्वारा मानक शुल्क में बढ़ोत्तरी न किये जाने के अनुरोध, कोविड-19 महामारी के

कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों से अधिकांश अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाने एवं 'शिक्षा का व्यावसायिकरण सम्बन्धी जाँच समिति' द्वारा की गयी अपेक्षा को ध्यान में रखकर समिति कार्यालय द्वारा निर्गत तत्सम्बन्धी आदेश संख्या-5104/प्र0फी0नि0स0/2023 दिनांक 17.06.2023 को एतदद्वारा निरस्त करते हुए वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 में निर्धारित मानक शुल्क व शासन द्वारा वर्ष 2022-23 के लिये पूर्व निर्धारित मानक शुल्क को ही वर्ष 2023-24 (एक वर्ष) हेतु यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

5. उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2017-18 में सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 (तीन वर्ष) तथा वर्ष 2018-19 में सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (तीन वर्ष) के लिए जिन संस्थानों का मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारित किया गया था, उन संस्थानों हेतु शासन द्वारा पूर्व वर्ष 2022-23 की भांति शैक्षणिक वर्ष 2023-24 (एक वर्ष) के लिए पूर्व में निर्धारित शुल्क ही प्रभावी होगा।

Signed by कल्पना अवस्थी
Date: 20-07-2023 17:25:56
Reason: Approved
(कल्पना अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1.कुलसचिव, डा0 ए0पी0जे0अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2.निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
3.सचिव,प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
4.विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1, उत्तरप्रदेश शासन।
5.प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग एवं अल्पसंख्यक विभाग।
6.सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी।
7.सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति को इस निर्देश के साथ कि वे अपने स्तर से सम्बंधित संस्थानों को अवगत करायें।
8.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कल्पना अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव